भी, जैसे ही पिछले वर्ष दिये गये रुपये का परीक्षित लेखा विवरण प्राप्त हो जायेगा तथा उन्हें पहले दी गई निधियों का उपयोग हो जायेगा, चालू वर्ष में दे दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) साफ किये जाने वाले क्षेत्रों की सूची सभा पटल पर रख दी गयी है । [पुस्तकालय में रख दी गयी । देखिये संख्या LT—1615/69]

समय समय पर साफ किये जाने वाले विशेष क्षेत्रों के सम्बन्ध में दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा निर्णय लिया जाता है ; इस प्रकार का निर्णय 1969-70 के लिए अभी तक नहीं लिया गया है ।

मूल्यों में वृद्धि

*469. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री बाल्मीकी चौधरी :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री स० कुण्डू :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अत्यावश्यक वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं तथा तेलों के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, गत वर्ष और चालू वर्ष में अब तक मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) जी, हां । इस अवधि में मूल्यों में कुछ वृद्धि होना, सामान्य मौसमी बात है, लेकिन तेलहनों, कपास और दालों (विशेष रूप से चने) के उत्पादन में कमी होने के कारण मूल्यों में और वृद्धि हो गई है । एक विवरण अलग से सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें चालू वर्ष में (29 मार्च से 19 जुलाई 1969 तक) और पिछले वर्ष की इसी अवधि में, मुख्य वर्गों/वस्तुओं के मूल्यों में हुए परिवर्तनों का प्रतिशत दिया गया है । [पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT—1616/69]

(ग) सरकार कच्चे जूट, कपास और सोयाबीन के तेल जैसी वस्तुओं का आयात करके इन वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है । कृषि उत्पादन को तेजी से बढ़ावा देने के लिए किसानों को लाभकारी मूल्यों की गारन्टी दी जा रही है । सरकार के पास संकट के समय काम आने वाला अन्न का बहुत बड़ा भण्डार भी है । कर सम्बन्धी प्रतिबन्धों से और बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों पर अधिक कड़े नियंत्रण लगाकर, तथा कपास मिलों द्वारा रखे जाने वाले स्टाक के स्तर के विनियमन जैसे उपायों से माल की अधिक मांग को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है । इसके अलावा अलग से एक व्यवस्था भी मौजूद है जिसके द्वारा 20 अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर बराबर नजर रखी जाती है । अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राज्य सरकारों और संघीय राज्य-क्षेत्रों को अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण और उनके मूल्यों का विनियमन करने का भी अधिकार है ।

Production Target of F.C.I.

*470. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even after 17 years, the Fertilizer Corporation of India have not achieved the targets of production ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps Government have taken or propose to take in regard thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN) : (a